

वरिय प्रमारी पदाधिकारी

शाखा. राजना. राजा / 15/8/10



पत्र संख्या-10/जि0अि0गृ0-002-04/2010साि0प्र0. 7645 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

रुकी हुलिका

विमलेश कुमार झा,  
मेन्सन्स'र के उप सचिव ।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक- 6/8/10

विषय- जिला अतिथि गृहों में उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन/ अल्पाहार/चाय/कॉफी आदि की मात्रा एवं दरों में संशोधन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि खाद्य सामग्रियों की मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण सम्यक विचारोपरान्त राज्य के जिला अतिथि गृहों में अतिथियों को उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन/अल्पाहार/चाय/कॉफी आदि की मात्रा एवं दरों में निम्न रूप से संशोधन करने का निर्णय लिया गया है -

क्रमांक	भोजन/अल्पाहार का नाम	मात्रा	संशोधित दर	
1	शाकाहारी थाली	रोटी (आटा) 150 ग्राम	10.00	
		चावल (बासमती) 150 ग्राम	10.00	
		दाल ( अरहर/चना ) 100 ग्राम	08.00	
		सूखी सब्जी,	07.00	
		तरीदार सब्जी,	07.00	
		दही,	08.00	
		सलाद	07.00	
		पापड़	03.00	
		योग- 60.00	✓	
2	मंशाहारी थाली	रोटी (आटा) 150 ग्राम	10.00	
		चावल (बासमती) 150 ग्राम	10.00	
		दाल ( अरहर/चना ) 100 ग्राम	08.00	
		सूखी सब्जी	07.00	
		तरीदार सब्जी,	07.00	
		दही	08.00	
		सलाद	07.00	
		पापड़	03.00	
		20.00		
		मीट/चिकेन ( 2-पीस),	20.00	
			योग- 80.00	

126  
13/8/10


3	नास्ता	(क). दो टोस्ट, दो अंडा आमलेट, 25 ग्रा0 मक्खन	25.00 रु0
		(ख). दो टोस्ट, 25 ग्रा0 मक्खन, एवं मौसमी फल 1 पीस	25.00 रु0
		(ग). 2 पराठा, भुजिया, एवं मौसमी फल-1	25.00 रु0
		(घ). आलू पराठा -2 पीस, भुजिया एवं मौसमी फल 1 पीस	25.00 रु0
		(ङ). दूध 200 एम0एल0, कार्नफ्लेक्स 50 ग्रा0, मौसमी फल 1 पीस	30.00 रु0
4	चाय	प्रति कप	04.00 रु0
		छोटा पीट ( तीन कप के साथ )	12.00 रु0
		बड़ा पीट ( छः कप के साथ )	20.00 रु0
5	काफी	प्रति कप	06.00 रु0
		छोटा पीट ( तीन कप के साथ )	15.00 रु0
		बड़ा पीट ( छः कप के साथ )	30.00 रु0

उपर अंकित सूची से भिन्न यदि किसी सामग्री को अतिथियों को उपलब्ध कराया जाता है तो उसका दर निर्धारण जिला पदाधिकारी द्वारा अलग से किया जायेगा।

प्रत्येक कमरे में एक फोल्डर रखा जाय जिसमें जिला के बारे में विशेषकर पर्यटक स्थलों की जानकारी उपलब्ध हो साथ ही दूरभाष सूची एवं उपरोक्त दरों की सूची को भी फोल्डर में रखा जाय।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

  
(विमलेश कुमार झा)  
सरकार के उप सचिव